भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 162886

तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर व हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थापित कर उसका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में किया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/ट्रस्ट के अधीन जानी व समझी जायेगी।

3 – यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे। प्रथम न्यास की प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिसकी कुल संख्या 03 से कम तथा 07 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास के स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है।

1– अखिलेश सिंह यादव पुत्र श्री रामनगीना सिंह यादव

2– अभिषेक सिंह यादव पुत्र श्री रामनगीना सिंह यादव

3– प्रेमा यादव पत्नी श्री रामनगीना सिंह यादव

4– जयप्रकाश यादव पुत्र श्री हरिनाथ यादव

5– लालचन्द यादव पुत्र स्व0 पतिराम यादव

6– अशोक यादव पुत्र श्री स्वयंबर यादव

4 – यह कि हम मुकिर द्वारा "रामनगीना जन सेवा न्यास" के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है

Anand